



MUNESHWAR DEVNANDAN YADAV MAHILA MAHAVIDYALAYA

Affiliated to Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh

📍 Akbarpur, Bilariyaganj, Azamgarh 📞 9936434485, 9455570717

✉️ mdymcollege@gmail.com 🌐 <https://mdymcollege.org.in> 📄 MDY PG COLLEGE



वैदिक प्रार्थना

ओऽम् विश्वानि देव सवितर्दुरतानि परासुव ।

यद भद्रं तन्न आसुव ।। 1 ।।

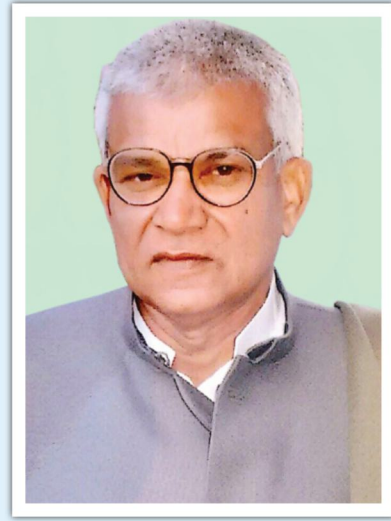
हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पातिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथ्वी कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। 2 ।।

म आत्मादां बलदा मस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवः ।

यस्य छायाऽमृत यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। 3 ।।

1. हे जगत के स्वामी ! हमारे दुर्गुणों को दूर कीजिए और हमें कल्याण मार्ग पर अग्रसर कीजिए ।
2. जो परमात्मा आत्मज्ञान और बल प्रदान करता है, जिसकी विश्व उपासना करता है, जिसकी छाया अमृत एवं जिसका अभाव मृत्यु है, उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए ।
3. जिसने अपनी उपलब्धियों पर सन्तोष कर लिया व पिछड़ गया ।



संस्थापक

प्रिय छात्र एवं अभिभावक,

मुनेश्वर देवनन्दन यादव महिला महाविद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। महाविद्यालय परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के प्रति स्नेह सौहार्द और आदर का भाव रखता है।

आप उस संस्था से जुड़ रहे हैं, जिसके पास उपलब्धि, समरसता व एकरूपता स्थापित करने की अपनी परम्परा है। एक बार आप इस संस्था से जुड़ जाते हैं तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी परम्परा को सुव्यवस्थित रखते हुए उसे और आगे ले जायेंगे। हमारा सतत एवं भगीरथ प्रयास है कि हम संस्था को अपने सुस्थापित मूल्यों के अनुरूप आपका अपने लक्ष्य तक पहुँचा सकें।

आपका मनोबल व नैतिक स्तर पर्वतों से भी ऊँचा, समुद्रों से भी गहरा, आकाश से भी विशाल होना चाहिए, जिससे कोई भी शक्ति आपके प्रगति को अवरुद्ध न कर सके।

धन्यवाद!

देवनन्दन यादव

संस्थापक





प्रबन्धक

क्षेत्र के बालिकाओं को समुचित उच्च शिक्षा प्राप्त करने की असुविधा को ध्यान में रखते हुए समाज की प्रतिमूर्ति क्षेत्र के गौरव श्री मनेश्वर देवनन्दन यादव महिला महाविद्यालय को स्नातक विज्ञान एवं स्नातक महाविद्यालय अपने विविध पाठ्यक्रमों, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों, शिक्षा-दीक्षा और अच्छे परिणामों के माध्यम से छात्राओं को सम्मानित जीवन व्यतीत करने का सुगम मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

माँ सरस्वती की असीम अनुकम्पा से प्रबंधक, प्राचार्य, प्राध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सह एवं ...परिश्रम से विभिन्न सम्प्रदायों एवं धर्मों तथा क्षेत्रों की मानवीय संवेदना के आधार पर एकता, संनिकटता एवं आत्मीयता की भावना को सुदृढ़ करने का अनवरत प्रयास महाविद्यालय द्वारा किया रहा है।

हमारी भावी योजनाओं में स्नातक स्तर पर सभी विषयों एवं स्नातकोत्तर स्तर की प्रमुख विषय मान्यता प्राप्त करना है, जिसके लिए प्रयास जारी है।

शिवशंकर यादव

प्रबन्धक



देवनन्दन यादव के द्वारा
की स्थापना सन् 2016 को की गयी
कला वर्ग में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है।



प्राचार्य

भाव भंगिमा से आभूत होकर मनोभावों के सपनों को साकार करने के लिए आप सब सहायोग से जनपद आजमगढ़ में शिक्षा की अखण्ड ज्योति को साकार करने के संकल्प लेकर माँ की आशीष के लिए संकलित "मुनेश्वर देवनन्दन यादव महिला महाविद्यालय अकबरपुर, बिलरियागंज-आजमगढ़" की स्थापना की गयी। बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना ही इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य है। स्नातक शिक्षण हेतु महाराजा सुहे देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ एवं स्नातकोत्तर शिक्षण हेतु उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुख विश्वविद्यालय, प्रयागराज से मान्यता प्राप्त कर यह महाविद्यालय आपके पाल्यों के उद्देश्य को साकार करने हेतु प्रयासरत है।

मेरी परम इच्छा है कि बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में मुनेश्वर देवनन्दन यादव महिला महाविद्यालय, अकबरपुर, बिलरियागंज-आजमगढ़ संकल्प को कायम करें और शिक्षा जगत के अन्तिम सोपानों को पार करके राष्ट्र में नारी शक्ति को साकार रूप प्रदान करने अपना सहयोग दें।

अन्त में मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं महाविद्यालय परिवार को इस आशय एवं विश्वास से अवगत कराता हूँ कि महाविद्यालय को विकसित करने के लिए मैं सहर्ष अनवरत प्रयास करता रहूँगा।

मृणाल कुमार द्विवेदी
प्राचार्य



हमारी दृष्टि / Our Vision

- ✓ महाविद्यालय को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित करना ।
- ✓ नैतिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना ।
- ✓ विद्यार्थियों के सभी वर्गों के लिए उच्च गुणवत्ता, वहनिय सुलभ शिक्षा,
- ✓ आजीविका आधारित कार्यक्रम प्रदान करना ।



हमारा उद्देश्य / Our Mission

- ✓ नेतृत्व की भावना, अखण्डता एवं सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में गहरी समझ विकसित करना ।
- ✓ जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना एवं बढ़वा देना ।
- ✓ विद्यार्थियों को उच्च लक्ष्य रखने एवं उस दिशा में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- ✓ सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों के मध्य ज्ञान, कौशल, मूल्य, एवं आत्म विश्वास प्रदान करना ।
- ✓ समाज में एक अभिनव एवं नैतिकता का वातावरण प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु उनकी प्रतिभा का पोषण करना ।
- ✓ उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये संस्थान में विभिन्न विस्तारित गतिविधियों यथा— एन. सी.सी., एन.एस.एस., रोवर्स, रेन्जर्स, इत्यादि का आयोजन करना ।
- ✓ विभिन्न एन.जी.ओ. ग्रामीण, शहरी स्थानिय निकायों एवं सरकार के साथ सहयोग के माध्यम से संस्थान के विद्यार्थियों को समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना ।



महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ

1. महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय में मानक के अनुसार प्राध्यापक ।
2. समुन्नत पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था ।
3. सभी प्रयोगात्मक विषयों के लिए सुसज्जित, संसाधनयुक्त प्रयोगशाला की उत्तम व्यवस्था ।
4. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल का मैदान व क्रीड़ा सम्बन्धित सामग्रियाँ उपलब्ध हैं ।
5. भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सौजन्य से महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 100 छात्रों की इकाई स्थापित है । इसमें स्नातक स्तर के छात्रों को सहयोग मिलता है । प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 120, 120 घण्टे की सार्वजनिक सेवा करने पर रा0से0यो0 (राष्ट्रीय सेवा योजना) प्रमाण पत्र दिये जाते हैं, जो शैक्षिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होते हैं ।
6. महाविद्यालय में छात्राओं के शिक्षणेत्तर क्रिया-कलापों के सम्वर्धनार्थ रोवर्स/रेंजर्स की इकाई कार्यरत है, जिसमें 50 छात्र/छात्राओं का प्रतिभाग निर्धारित है ।
7. छात्रों के भौतिक युग के अनुरूप सामर्थ्यवान बनाने हेतु महाविद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गयी है ।
8. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों के छात्रों के लिए शैक्षणिक यात्रा की व्यवस्था की गयी है ।
9. छात्रों के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों के उचित समाधान हेतु कल्याण परिषद् का गठन किया गया है, इस परिषद के द्वारा छात्राओं की समस्याओं का निराकरण किया जाता है ।
10. विद्यार्थियों के कलात्मक रुचि लेखनपटुता एवं नेतृत्व जैसे गुणों को विकसित करने के लिए महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

महाविद्यालय में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग द्वारा दो इकाइयाँ प्रदत्त हैं । जिसमें नामांकन के लिए छात्राएं कार्यालय पटल से पंजीकरण फार्म लेकर पंजीकरण करा सकते हैं ।



महाविद्यालय के सामान्य निर्देश

महाविद्यालय आपका है। इस विद्यालय की अपनी गरिमा, परम्पराएँ एवं मान्यताएँ हैं। इनकी रक्षा करना, पालन करना, आपका परम कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है। सदाचरण एवं सद्व्यवहार से महाविद्यालय में सौहार्द का ऐसा वातावरण बनायें, जिससे प्राचार्य एवं छात्र, अनुशासनाधिकारी एवं छात्र एवं शिक्षक से सहयोग व मार्गदर्शन मिलता रहे। महाविद्यालय के भवन एवं सम्पत्ति को अपने कल्याण हेतु स्वीकार करते हुए इसकी रक्षा एवं विकास का संकल्प लें।

अनुशासनाधिकारी कार्यालय एवं मुख्य कार्यालय द्वारा प्रसारित सूचना एवं निर्देशों पर ध्यान दें तथा यह भी स्वीकार करें कि महाविद्यालय के किसी नियम एवं विधि में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है। प्राचार्य एवं अनुशासन समिति के तत्कालिक निर्णय के अनुसार महाविद्यालय की नियमावली में संशोधन हो सकता है।

अभिभावकों से अनुरोध

महाविद्यालय अपने छात्र अभिभावकों से अनुरोध करता है कि वे अपने पाल्य के सम्बन्ध में समस्त शैक्षिक जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त करते रहें। महाविद्यालय एक सामाजिक संस्था है। अभिभावक एवं छात्र इसके सक्रिय सदस्य हैं। अतः अभिभावक अपने पाल्यों को समय से महाविद्यालय भेजें तथा महाविद्यालय के विकास को नई दिशा दें।

प्रवेश के सम्बन्ध में सामान्य नियम

मुनेश्वर देवनन्दन यादव महिला महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश, समिति की संस्तुति एवं प्रवेश परीक्षा के आधार पर अनुशासनाधिकारी की सहमति एवं प्राचार्य के अनुमोदन के बाद होता है। इस सन्दर्भ में कुछ सामान्य नियम निम्नांकित हैं—

1. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सभी जाति, वर्ग एवं समुदाय लिंग तथा धर्म के लोग समान अधिकार रखते हैं।
2. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश आवेदन फार्म भरना आवश्यक है, जिसे महाविद्यालय के मुख्य कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
3. प्रवेश छात्राओं की योग्यता के आधार पर होता है।
4. प्रवेश आरक्षण के नियमों के आधार पर होता है।
5. प्रवेश के लिए इच्छुक छात्राओं को आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक सूचनाओं एवं प्रमाण पत्रों के साथ अन्तिम तिथि से पहले कार्यालय में जमा करना होता है।
6. प्रवेश फार्म की जांच प्रवेश समिति के समक्ष होता है। इसमें अभ्यर्थी यदि अर्ह पाया जाता है तो उसके प्रवेश की संस्तुति कर दी जाती है। अभ्यर्थी को कार्यालय में शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया जाता है। यदि अभ्यर्थी अत्यन्त निर्धन है तो प्रवेश समिति छूट के नियमों के आधार पर सहायता प्रदान करती है।



संकायानुसार विषयों की सूची

महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ द्वारा सम्बद्ध

कला संकाय (स्नातक स्तर पर)

- | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------------|----------------|----------|
| 1. हिन्दी | 2. संस्कृत | 3. गृहविज्ञान | 4. समाजशास्त्र | 5. भूगोल |
| 6. अंग्रेजी | 7. राजनीतिशास्त्र, | 8. शारीरिक शिक्षा | 9. उर्दू | 10. कला |

विज्ञान संकाय (स्नातक स्तर पर)

- | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 1. भौतिक विज्ञान | 2. रसायन विज्ञान | 3. गणित | 4. जन्तु विज्ञान |
| 5. वनस्पति विज्ञान | 6. भूगोल | 7. गृहविज्ञान | 8. कम्प्यूटर साइंस |

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा सम्बद्ध

कला संकाय (स्नातक स्तर)

- | | | | |
|----------------|---------------|-------------|----------|
| 1. हिन्दी | 2. संस्कृत | 3. अंग्रेजी | 4. भूगोल |
| 5. समाजशास्त्र | 6. गृहविज्ञान | 7. कला | |

विज्ञान संकाय (स्नातक स्तर पर)

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. गणित | 2. भौतिक विज्ञान | 3. रसायन विज्ञान | 4. प्राणि विज्ञान |
| 5. वनस्पति विज्ञान | 6. भूगोल | 7. गृहविज्ञान | |

योगा - पी0 जी0 डी0 वाई0 (स्नातक), डी0 वाई0 ओ0 (इण्टर)

कला संकाय (स्नातकोत्तर स्तर पर)

- | | | | |
|------------|---------------|----------------|-----------|
| 1. भूगोल | 2. गृहविज्ञान | 3. समाजशास्त्र | 4. हिन्दी |
| 5. संस्कृत | 6. अंग्रेजी | | |

विज्ञान संकाय (स्नातक स्तर पर)

- | | | |
|--------------------|--------------|------------------------|
| 1. बायो केमेस्ट्री | 2. स्टैटिक्स | 3. फूड एण्ड न्यूट्रीशन |
|--------------------|--------------|------------------------|



अनुशासन सम्बन्धी नियम

व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख साधन अनुशासन है। छात्र महाविद्यालय में रहकर शैक्षिक वातावरण के सृजन में सहयोग देता है। अनुशासन सकारात्मक एवं सृजनात्मक होना चाहिए, नकारात्मक एवं विध्वंसात्मक नहीं।

महाविद्यालय अनुशासन के बाह्य स्वरूप को अपनाता है तथा इसके आन्तरिक परिणाम में विश्वास रखता है। इसी सन्दर्भ में कुछ अनुशासन सम्बन्धित नियमों को निर्धारित किये गये हैं।

1. महाविद्यालय में छात्राओं का प्रवेश अन्तिम है, यदि इनके द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है तो प्रवेश स मिति , प्राचार्य, मुख्य अनुशासनाधिकारी द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
2. महाविद्यालय बिना किसी कारण किसी भी छात्र का नामांकन विशेष परिस्थितियों में निरस्त कर सकता है। इसके विरुद्ध कोई भी शिकायत अस्वीकार्य होगी।
3. महाविद्यालय की प्रत्येक छात्रा अनुशासनात्मक व्यवस्था में महाविद्यालय प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेगा तथा महाविद्यालय के अन्दर एवं बाहर उसके द्वारा ऐसा कृत्य नहीं किया जायेगा, जिससे महाविद्यालय का नाम कलंकित हो।
4. छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा।
5. छात्राओं को महाविद्यालय परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा।
6. परिचय पत्र रद्द अथवा खो जाने पर शुल्क जमा कर उसकी द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है।
7. विद्यार्थियों का चरित्र प्रमाण-पत्र अनुशासनाधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
8. यदि महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा अनुशासनहीनता की जाती है तो मुख्य अनुशासनाधिकारी एवं अनुशासन समिति द्वारा उचित दण्ड प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
9. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम एवं शुल्क प्रक्रिया सम्पूर्ण विद्यार्थियों पर एक साथ प्रभावी होगी।
10. पुस्तकालय सुविधा हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय कार्ड लेना अनिवार्य है।
11. विश्वविद्यालय मानक के अनुसार महाविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
12. मानक अनुरूप उपस्थित न होने पर विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
13. छात्राओं के लिए निर्धारित गणवेश (यूनिफार्म) अनिवार्य है।

पाठ्येत्तर कार्यक्रम/

छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धियों तथा व्यक्तिगत निर्माण हेतु विभिन्न शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का आयोजन समितियों के माध्यम से किया जाता है, जिसका परिनियमावली में प्रावधान है।

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (क) क्रीडा समिति | (ख) छात्र परिषद् |
| (ग) पुस्तकालय एवं वाचनालय | (घ) परिचय पत्र एवं अनुशासन समिति |
| (ङ) परीक्षा समिति | (च) चिकित्सा |
| (छ) निर्धन छात्र सहायता समिति | (ज) बुक-बैंक समिति |
| (झ) सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक समिति | (ञ) प्रशासनिक एवं शैक्षणिक समिति |

- राष्ट्रीय सेवा योजना या रोवर्स रेंजर्स से लिया जाता है।
- अनुशासन एवं व्यक्तिगत निर्माण की दृष्टि से श्वेत परिधान (सफेद) के यूनिफार्म में आना है।
- मासिक परीक्षा एवं गृहकार्य का भी प्रावधान है।
- नित्य सामूहिक प्रार्थना सभा होती है।





महाविद्यालय में संचालित

क्रम सं०	कोर्स	योग्यता	अवधि	विषय
1	बी०ए० कला संकाय	इण्टरमीडिएट	3 वर्ष 6 सेमेस्टर	हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, शारिरिक शिक्षा, उर्दू
2	बी०एस-सी० विज्ञान संकाय	इण्टरमीडिएट	3 वर्ष 6 सेमेस्टर	गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान भूगोल, गृहविज्ञान, कम्प्यूटर साइंस

संचालित पाठ्यक्रम का शुल्क विवरण

क्रम सं०	कोर्स	शुल्क विवरण सेमेस्टर
1	बी०ए०-प्रथम वर्ष / I, II सेमेस्टर	3500/सेमेस्टर
	बी०ए०-प्रथम द्वितीय वर्ष / III, IV सेमेस्टर	3500/सेमेस्टर
	बी०ए०-प्रथम तृतीय वर्ष / V, VI सेमेस्टर	3500/सेमेस्टर
2	बी०एस-सी०(गणित/बायो) प्रथम वर्ष / I, II सेमेस्टर	3500/सेमेस्टर
	बी०एस-सी०(गणित/बायो) द्वितीय वर्ष / III, IV सेमेस्टर	3500/सेमेस्टर
	बी०एस-सी०(गणित/बायो) तृतीय वर्ष / V, VI सेमेस्टर	3500/सेमेस्टर

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ

1. छात्राओं के लिए नि शुल्क बस को सुविधा।
- 2- महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्लास रूम।
- 3- संकायवार अलग-अलग प्रयोगशालाओं और लैब की सुविधा।
- 4- महाविद्यालय में उत्तम सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा।
5. महाविद्यालय में बॉटनिकल गार्डन की उपलब्धता।
6. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इण्डोर, आउटडोर (सभागार) आडिटोरियम।
7. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इण्डोर, आउटडोर स्टेडियम।
8. महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट क्लास को व्यवस्था।
- 9- महाविद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फ्री वाईफाई इण्टरनेट की सुविधा।
- 10- महाविद्यालय में कुछ महत्वपूर्ण संकायों में एल.सी.डी. प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षण की विशेष व्यवस्था।
- 11- छात्राओं के लिए अलग वातानुकूलित कॉमन रूम की व्यवस्था।
- 12- महाविद्यालय में चारों तरफ सी सी टी वी कैमरा को व्यवस्था।
13. महाविद्यालय में स्वच्छ पेयजल आर वो की व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं से युक्त जलपान गृह (कैण्टॉन) को व्यवस्था।
- 14- महाविद्यालय में इण्टरनेट और कम्प्यूटर लैब को सुविधा।
15. महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल से सम्बन्धित सामानों की उपलब्धता।

पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी नियम

- 1 महाविद्यालय में सुसज्जित, सम्पन्न एवं समृद्ध पुस्तकालय तथा वाचनालय है इसमें दुर्लभ पुस्तके, संदर्भग्रंथ, शोधग्रंथ एवं पाठ्यपुस्तके पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पत्रिका 5 दैनिक सामाचार पत्र शोध पत्रिकाएँ तथा कई मासिक व साप्ताहिक पत्रिकाएँ भी आती हैं।
- 2 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को पुस्तकालय में प्रवेश रसीद की मूल प्रति दिखाकर प्रवेश लेने के 1 माह के अन्दर पुस्तकालय कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। जिससे यथाशीघ्र वह पुस्तकालय से अपने विषय की उपयोगी पुस्तके प्राप्त कर के लाभान्वित हो सके।
- 3 छात्र/छात्रायें अपने पास एक सप्ताह से अधिक समय तक पुस्तक नहीं रख सकता/सकती है तथा छात्र/छात्रायें एक बार में दो से अधिक पुस्तके प्राप्त नहीं कर सकता/सकती है।
- 4 छात्र/छात्रायें अपने पुस्तकालय कार्ड पर पुस्तक निर्गत होने एवं जमा होने की तिथि अवश्य अंकित करें।
- 5 निर्धारित समय सीमा से अधिक समय पुस्तके पास रखने पर उसे प्रति पुस्तक 1 रुपया प्रतिदिन विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।
- 6 पुस्तकालय कार्ड खो जाने की दशा में छात्र/छात्रा प्रार्थना पत्र पर पुस्तकालयाध्यक्ष की आख्या व प्राचार्य की संन्तुति के उपरान्त कार्यालय में निर्धारित शुल्क ₹ 50 मात्र जमा कर द्वितीय पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर सकता/सकती है।
- 7 पुस्तक खो जाने की दशा में छात्र/छात्रा को प्रार्थना पत्र पर पुस्तकालयाध्यक्ष की आख्या व प्राचार्य की संन्तुति के उपरान्त कार्यालय में पुस्तक का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- 8 पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के निर्देशों / आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।
- 9 अनुशासनहीनता की दशा में आपको महाविद्यालय नियमों के अधीन दण्डित किया जा सकता है।
10. पुस्तकों का सुरक्षित उपयोग छात्र/छात्राओं का नैतिक कर्तव्य है, पुस्तके कटी-फटी गंदी निशान लगी पायी जाने पर पुस्तक का वर्तमान मूल्य छात्र/छात्राओं से दण्डस्वरूप लिया जायेगा।

सूचनाओं का प्रदर्शन (नोटिस बोर्ड)

महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की गतिविधियों से सम्बन्धित सभी जरूरी सूचनायें महाविद्यालय के सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट <https://mdymcollege.org.in/> पर प्रदर्शित की जायेगी। छात्रों/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट <https://mdymcollege.org.in/> पर प्रदर्शित सूचनाओं को नियमित रूप से पढ़ें तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करें।

क्रीड़ा और शिक्षणेत्तर कार्यक्रम

महाविद्यालय के विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास के लिए यहाँ बालीबाल, हॉकी, फुटबाल क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी एवं एथलेटिक्स आदि खेल की सुविधा है।

महाविद्यालय की ओर से प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों के छात्र/छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन की व्यवस्था की जाती है। विद्यार्थियों के कलात्मक रुचि, लेखन एवं अन्य गुणों के विकसीत करने के लिए महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन किया गया है। जिसके द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

महाविद्यालय की ओर से छात्र एवं छात्राओं को शिक्षणेत्तर एवं सह पाठ्यगामी क्रियाकलापो में अपनी अभिरुचि व प्रतिभा के अनुसार विविध प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना और रेड रिवन क्लब जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर भी छात्रों/छात्राओं को उपलब्ध कराये जाते हैं। महाविद्यालय में क्रीड़ा की उचित व्यवस्था है। यहाँ क्रीड़ा सप्ताह मनाये जाने के साथ विभिन्न अन्तर महाविद्यालयी खेल-कूद के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में अंतर-महाविद्यालयी वाद-विवाद व भाषण प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि छात्र एवं छात्राओं की अन्तर्मुखी प्रतिभा को निखरने का उपयुक्त मंच मिल सके।

छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

मुनेश्वर देवानन्द यादव महिला महाविद्यालय समय समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान करता है। जिसकी पात्रता पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नवत है

अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति दी जाती है शासन द्वारा सामान्य वर्ग पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए सम्बन्धित वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र संलग्न करके निर्धारित समयावधि में महाविद्यालय में जमा करना होगा।

छात्रवृत्ति से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज दो प्रति में जमा करना होगा।

- 1 छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन की हार्ड कॉपी।
2. हार्ड स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
3. इण्टरमिडिएट की अंक पत्र. प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
4. 4 स्नातक स्ता का अंक पत्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
5. निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
6. जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति (OBC/SC/ST आवेदकों के लिए)
7. आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
8. बैंक पासबुक की छाया प्रति।
9. आधार कार्ड की छाया प्रति।
10. पासपोर्ट साईज फोटो।

अनुशासन सम्बन्धी नियम

1. सभी छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में निर्धारित यूनिफार्म पहनकर आना अनिवार्य है। अन्य कोई ड्रेस पहनना वर्जित है।
2. महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र सदैव अपने साथ रखना अनिवार्य है।
3. महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक इधर-उधर घूमना वर्जित है।
4. महाविद्यालय भवन एवं सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचायें। दीवारों और फर्नीचरों को गंदा न करें। परिसर में पान मसाला, तम्बाकू, सिगरेट या किसी मादक पदार्थ का प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है।
5. किसी कार्य के लिए स्वयं ही सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मचारी से मिलें। इस हेतु किसी की सिफारिश या दबाव का प्रयोग न करें।
6. अगर कोई छात्र/छात्रा धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही या अर्थदण्ड दोनों हो सकता है।
7. किसी भी छात्र/छात्रा को दो बार चेतावनी के बाद उसके द्वारा किये गये अशोभनीय क्रिया कलापों का चरित्र प्रमाण पत्र में अंकित कर दिया जायेगा।
8. कक्षा में मोबाइल फोन लेकर बैठना वर्जित है निरीक्षण के दौरान पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी।
9. महाविद्यालय में मारपीट करने / महाविद्यालय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने जैसी घटना में लिप्त पाये जाने पर तत्काल महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
10. प्रत्येक छात्र / छात्रा को महाविद्यालय में अपने साथ चयनित विषयों से सम्बन्धित आवश्यक पाठ्य सामग्री में लाना अनिवार्य है।
12. परिचय पत्र न होने पर विद्यार्थी महाविद्यालय से कोई प्रमाण पत्र या सुविधा नहीं पा सकेगा।
13. महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये नियम एवं विधि में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा नये नियम एवं विधि लागू करने के समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित हैं, जिसे कानूनी रूप से किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
14. किसी विद्यार्थी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार अनुशासनहीनता की प्रकृति एवं गुरुता के अनुरूप उसे निम्न में से एक या एक से अधिक दण्ड दिया जा सकता है।
(क) चेतावनी (ख) अर्थदण्ड (ग) वित्तीय एवं अन्य आवश्यकतानुसार सुविधाओं से वंचित किया जाना
(घ) निलम्बन (ङ) निष्कासन (च) निस्सारण (रेस्ट्रिकेशन) विशेष दण्ड देने में निर्धारित क्रम की बाध्यता नहीं होगी।



MUNESHWAR DEVNANDAN YADAV MAHILA MAHAVIDYALAYA

Affiliated to Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh

📍 Akbarpur, Bilariyaganj, Azamgarh 📞 9936434485, 9455570717

✉ mdymcollege@gmail.com 🌐 <https://mdymcollege.org.in> 📠 MDY PG COLLEGE